न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : नमित मेहता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 13/2017 अपील

उनवान

1. गोपाल आत्मज मोहन लाल बलाई निवासी चान्दरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
2. लक्ष्मण आत्मज मोहन लाल बलाई, निवासी चान्दरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3. नन्दराम आत्मज मोहन लाल बलाई, निवासी चान्दरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
4. हीरा लाल आत्मज मोहन लाल बलाई, निवासी चान्दरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
5. बंशीलाल आत्मज उदा बलाई, निवासी चान्दरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार बागौर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।

—रेस्पोंडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नायब तहसीलदार, बागौर प्र0सं0 03/2017 निर्णय दिनांक 09.03.2017।

उपस्थित —

1. श्री राकेश जैन—अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या—1 की ओर से राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांक : 02-05-2024

1— अपीलार्थिया द्वारा जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत की, जिसमें अपीलार्थिया द्वारा अंकित किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय में बिलानाम सरकारी भूमि आराजी संख्या 424 पर अपीलार्थीगण को अतिक्रमी मानते हुए प्रत्येक अपीलार्थीगण को 2—2 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमी होना बता, पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्ते बेदखली हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो नितांत ही मनगढन्त व ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव व भू—माफिया के दबाव में आकर झूठे आधारों पर पेश किया गया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने वास्तविकता की जांच किये बिना उक्त आलौच्य निर्णय पारित किया जो खारिज होने योग्य है। अपीलार्थीगण ने बिलानाम सरकारी भूमि

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 424 के किसी भी भू–भाग पर अतिक्रमण नहीं कर रखा है। अपीलार्थीगण अपने स्वामित्व एवं खातेदारी अधिकारों की आराजी पर काबिज हो काश्त करते हुए चले आ रहे हैं। अपीलार्थी बंशी पिता उदा बलाई के स्वामित्व एवं आधिपत्य तथा खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 2769/424 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 1992 में आवंटित कर जरिये सिपुर्दगीनामा से कब्जा सिपुर्द किया गया था, तब से अपीलार्थी बंशी पिता उदा बलाई अपनी खातेदारी अधिकारों की उक्त आराजी संख्या 2769/424 पर काबिज है तथा वक्त आवंटन के पूर्व से ही बंशी पिता उदा बलाई की आराजी संख्या 2769/424 के उत्तर दिशा में बागौर करेडा जाने वाला पक्का सड़क मार्ग स्थित है, जिसके आराजी नम्बर 424/1 होकर रकबा 2 बीघा है तथा उक्त बागौर–करेडा मार्ग वर्ष–2010 तक व उसके बाद तक पटवारी हल्का चांदरास में प्रचलित राजस्व नक्शे में दर्ज रेकॉर्ड था तथा बंशी पिता उदा बलाई को आवंटन के समय सिपुर्दगीनामें के साथ दिये गये नक्शे में भी आवंटनशुदा आराजी के उत्तरी दिशा में आराजी नम्बर 424/1 बागौर–करेडा सड़क मार्ग को दर्शित कर रखा है। इससे स्पष्ट है कि बागौर करेडा सड़क मार्ग के सटमा दक्षिण दिशा में बंशी पिता उदा बलाई की खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 2769/424 स्थित थी तथा वर्तमान में भी मौके पर भी इसी अनुसार स्थित है एवं अपीलार्थी बंशी के कब्जे काश्त में है। इसी प्रकार अपीलार्थी गोपाल, लक्ष्मण, नन्दराम एवं हीरालाल के पिता स्व. मोहन लाल बलाई को वर्ष 2004 में आराजी संख्या 2842/424 रकबा 14 बिस्वा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन कर कब्जा सिपुर्द किया गया तथा वक्त आवंटन मोहनलाल को आराजी संख्या 2769/424 के पश्चिम दिशा में कब्जा सिपुर्द किया गया। मोहनलाल के निधन उपरान्त विरासत से अपीलार्थी संख्या–1 से 4 काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं।

2– अपील मेमो में आगे अंकित किया कि अपीलार्थीगण की उक्त आराजी संख्या 2769/424 के पडौस वक्त आवंटन व कब्जा सिपुर्दगी से लेकर आज दिनांक तक पूर्व में आराजी संख्या 2769/424, पश्चिम में चांदरास से बागौर व करेडा जाने वाला सडक मार्ग जिसके आराजी नम्बर 423 है, उत्तर में बागौर–करेडा जाने वाला सड़क मार्ग जिसके आराजी नम्बर–424/1 है, दक्षिण में आराजी नम्बर 2418/424 स्थित है। इस प्रकार अपीलार्थीगण की आराजी संख्या 2769/424 एवं 2842/424 के उत्तर दिशा में बिलानाम सरकारी भूमि आराजी संख्या–424 का कोई भू–भाग नहीं है, तो अपीलार्थीगण द्वारा आराजी संख्या–424 पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि आराजी नम्बर 2769/424 एवं 2842/424 के उत्तर दिशा में करेडा–बागौर सडक मार्ग, जिसके आराजी नम्बर 424/1 स्थित है तथा उक्त आराजी संख्या 424/1 वर्ष 2010 तक प्रचलित राजस्व नक्शे में दर्ज रेकॉर्ड था, परन्तु पटवार हल्का चान्दरास द्वारा सम्पूर्ण पटवार हल्का का नया नक्शा कायम करते वक्त उक्त आराजी नम्बर 424/1 को राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं किया गया, जिसका नाजायज फायदा उठाकर वर्तमान सरपंच व सचिव द्वारा उक्त भूमि को ग्राम पंचायत की होना बता अपीलार्थीगण को अतिक्रमण हटाने हेतु सूचनापत्र जारी किया गया एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल से पुलिस जाप्ते की मांग की गई थी, जिस पर अपीलार्थीगण ने ग्राम पंचायत को अपने अधिवक्ता के माध्यम से पंजीकृत सूचनापत्र व जवाब प्रेषित कर दिया गया एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के समक्ष ग्राम पंचायत के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

3— अपील में आगे अंकित किया कि अपीलार्थीगण की आराजी संख्या 2842/424 एवं 2769/424 की उत्तरी दिशा में मौके पर करेड़ा–बागौर सड़क स्थित होने से व उक्त सड़क राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं होने से करीब 120 फीट चौडाई की भूमि को छोडते हुए रामदेव मेला स्थल हेतु आरक्षित भूमि आराजी नम्बर 2875/424 एवं 2876/424 तथा देवनारायण मेला हेतु आरक्षित आराजी नम्बर 2893/424 को तरमीम किया गया है, इससे यह स्पष्ट है कि रामदेव मेला एवं देवनारायण मेला स्थल तथा अपीलार्थीगण की आराजियात के मध्य में बागौर करेडा मार्ग स्थित है, जिसके आराजी नम्बर 424/1 जो नक्शे में वर्तमान में तरमीम नहीं किया गया है। आराजी नम्बर 424/1 को अपीलार्थीगण की आराजियात के सटमा उत्तर दिशा में तरमीम किया जाना उचित है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिरोपित कार्यवाही को अपास्त किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थीगण को अपना पक्ष रखने हेतु कोई पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी स्वतन्त्र गवाह के बयान नहीं लिये गये, केवल मात्र पटवारी हल्का के आवेदनपत्र को आधार मानकर उक्त निर्णय प्रतिपादित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय को नियमानुसार प्रत्येक अतिक्रमी के विरूद्ध अलग–अलग पत्रावली कायम किया जाना होता है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नियम की पालना नहीं की गई है, जिससे भी उक्त निर्णय अपास्त होने योग्य है। अन्त में अंकित किया कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 09.03.2017 को अपास्त फरमाया जावे।

4— **बाद जांच प्रकरण दिनांक 13.04.2017 को दर्ज रजिस्टर किया** जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस सम्मन मय नकल अपील मेमो जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

5— **प्रकरण में तहसीलदार, माण्डल** द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/18/251 दिनांक 24.07.2018 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया कि ग्राम चान्दरास में आराजी नंबर 424 अवशेष रकबा 20 बीघा बंजड़ के भिन्न–भिन्न टुकड़ों के संबंध में प्रकरण में अतिक्रमी गोपाल, लक्ष्मण, नन्दराम, हीरालाल पिता मोहन, बंशी पिता उदा बलाई निवासी चान्दरास के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही से बिलानाम का0का0 आराजी नंबर 424 में रकबा 0.10 बिस्वा भूमि से विधिवत् कार्यवाही की जाकर बेदखल किया गया है। आराजी नंबर 424/1 रकबा 2 बीघा गे.मु. सड़क का रकबा के अलावा शेष बचा रकबा पर अतिक्रमण किया गया, जिसकों आदेशानुसार मौके पर से बेदखल किया जाकर पेनल्टी व निलामी की वसूली भी की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त रकबा बिलानाम का आराजी नंबर 424 का शेष बचा रकबा होकर सड़क आराजी नंबर 424/1 के लगा हुआ है। अपीलार्थी की खातेदारी आराजी नंबर 2769/424, 2842/424, 2518/424 जो कि भिन्न–भिन्न खातों में दर्ज है। अपीलार्थी की आवंटित शुदा भूमि जो कि खातेदारी दर्ज है के अलावा अवशेष बचे बिलानाम आराजी नंबर 424 के भाग 0.10 बिस्वा भूमि पर किये गये अतिक्रमण को विधिवत बेदखल किया गया था। अपीलार्थीगण पुनः आये दिन कब्जा करते रहते है, अभी आराजी नंबर 424/1 के रकबे पर भी कांटेदार छडियां लगाकर कब्जा कर लिया है, जिससे आराजी नंबर 424 के अवशेष भाग को भी अन्दर ले लिया है जो मौके पर पड़त है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा